बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या–06 / स्कूल बस–08–17 / 2020, 6992   पटना, दिनांक :– 24/9/2020

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा–138 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम–122 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ** :–(1) यह नियमावली बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2020 कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम–122 के उपनियम–2 एवं 3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"122 (2) (क) विद्यालय वाहनों के सुरक्षित परिचालन एवं उसका उपयोग करने वाले छात्र–छात्राओं के जीवनरक्षा एवं सुरक्षित यात्रा के लिए विद्यालय वाहनों के परिचालन का विनियमन **अनुसूची–'7'** में अन्तर्निहित प्रावधानों के अनुसार होगा।

(ख) परिवहन विभाग द्वारा स्कूल/शिक्षण संस्थान के स्कूली बच्चों/छात्रों के सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–215 के प्रावधानों के तहत निर्गत अधिसूचना सं0–402 दिनांक–18.04.2018 द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति/जिला सड़क सुरक्षा समिति को **अनुसूची–'7'** के अन्तर्निहित प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में दंड अधिरोपित किये जाने हेतु **"नियामक प्राधिकार"** घोषित किया जाता है।

122 (3) इस विनियमन में परिवहन विभाग समय–समय पर अवश्यकतानुसार परिवर्तन, संशोधन, परिवर्द्धन एवं अन्य रूपांतरण कर सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

(संजय कुमार अग्रवाल)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 06 / स्कूल बस–08–17 / 2020, 6992   पटना, दिनांक :– 24/9/2020

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 06/स्कूल बस–08–17/2020, 6992 पटना, दिनांक :–24/9/2020

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 06/स्कूल बस–08–17/2020, 6992 पटना, दिनांक :–24/9/2020

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/विधि परामर्शी–सह–सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 06/स्कूल बस–08–17/2020, 6992 पटना, दिनांक :–24/9/2020

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 06/स्कूल बस–08–17/2020, 6992 पटना, दिनांक :–24/9/2020

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/सभी प्रवर्त्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्त्तन निरीक्षक एवं प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 06/स्कूल बस–08–17/2020, 6992 पटना, दिनांक :–24/9/2020

प्रतिलिपि :– राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

Government of Bihar

Transport Department

Notification

No-06/School Bus-08-17/2020 ..6392 Patna, Date-24/9/2020

In exercise of the powers conferred by Section 138 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59, 1988), the following amendments has been made in Rule 122 of the Bihar Motor Vehicles Rules, 1992.

1. **Short title, extent and commencement. –** (1) These rules may be called the Bihar Motor Vehicle (Amendment) Rules, 2020.

(2) It shall extent to the whole State of Bihar.

(3) It shall come into effect from the date of its publication in the Bihar Gazette.

2. Sub-rules 2 and 3 of Rule 122 of Bihar Motor Vehicle Rules, 1992 are replaced by the following :-

"122(2) (a) That regulation of the operation of school vehicles shall be in accordance with the provisions contained in the seventh schedule for the safe operation of school vehicles and to save life of the students using them.

(b) For safe operation of school vehicles and for the safe transportation of children/students of school/educational institution, Road Safety Committee/District Road Safety Committee constituted under the provisions of Section-215 of Motor Vehicles Act, 1988 and Notification No. 402 dated 18.04.2018 issued under this provision is declared **"Regulatory Authority"** by Transport Department for imposing penalty in the case of violation of the provisions contained in seventh schedule.

122 (3) Changes, modifications, addition and any other transformations in this rule can be made by the Transport Department, Government of Bihar from time to time when ever necessary.

By order of the Governor of Bihar.

(Sanjay Kumar Agarwal),
Secretary to the Government.

Memo-06/School Bus-08-17/2020 6392 .... Patna, dated-..24/9/2020

Copy: To Joint Secretary, E. Gazette Koshang, Department of Finance, Bihar, Patna, along with CD (in Hindi and English), for publication in extraordinary issue of Bihar Gazette.

Secretary to the Government.

Memo-06/School Bus-08-17/2020 6992 Patna, dated-24/9/2020

Copy: Superintendent, Government Press, Gulzarbagh, Patna for imformation and necessary action.

Secretary to the Government.

Memo-06/School Bus-08-17/2020 6992 Patna, dated-24/9/2020

Copy: Principal Secretary, Department of Finance, Bihar, Patna/Legal Counsel-cum-Secretary, Law Department, Bihar, Patna/Principal Secretary, Cabinet Secretariat Department, Bihar, Patna for information and necessary action.

Secretary to the Government.

Memo-06/School Bus-08-17/2020 6992 Patna, dated-24/9/2020

Copy: Additional Chief Secretary, Education Department, Bihar, Patna/All Divisional Commissioners, Bihar/All District Magistrat, Bihar/All Superintendent of Police, Bihar for information and necessary action.

Secretary to the Government.

Memo-06/School Bus-08-17/2020 6992 Patna, dated-24/9/2020

Copy: Private Secretary to Hon'ble Minister, Transport Department, Bihar/ Private Secretary to Secretary, Transport Department, Bihar/ Private Secretary to State Transport Commissioner, Bihar/All Joint Commissioner-cum-Secretary, Regional Transport Authority, Bihar/All District Transport Officers/All Headquarter officers (including Section Officer)/All Motor Vehicle Inspectors/All Enforcement Inspectors and Enforcement Sub-inspectors for information and necessary action.

Secretary to the Government.

Memo-06/School Bus-08-17/2020 6992 Patna, dated-24/9/2020

Copy: State informatics Officer, NIC, Bihar, Patna for information and necessary action.

23/9

Secretary to the Government.